

न्यायालय तहसीलदार/मायब तहसीलदार गडरासोड, जिला बाइनेर

राजस्व प्रकरण संख्या अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

39/2019

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जारिये

बनाम

श्री. रामानंद पुत्र इत्यादि

पटवारी हल्का चेतगोरी

जाति ब्राह्मण निवासी मोहनगिरी दीपा
तहसील गडरासोड जिला बाइनेर।


निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरासोड में पेश हुई गैरसायल की उप/अनु। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चेतगोरी में रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम मेहरागिरी की बीघा नंबर 1347/1812 एकबा 14-02 बीघा में से 7 बीघा किरम खान राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जारिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पन्नाह रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख जि.रा.वे को आदेशित किया जाता है कि वह मौक पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 05-11-19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरासोड

जुमाना 57/- फसल नि. 475/-
कुल योग 525/- जे.के पृष्ठ सं. 40
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।


तहसील राजस्व लेखाकार